

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 12/2023

दायर दिनांक: 02.02.2023

## उनवान

1. भगवानलाल आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति धाकड़ निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

## बनाम

1. भवानीशंकर आयु 65 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़
2. शिवदयाल आयु 55 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. रूकमणी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री गोरीलाल पत्नि गोरधन जाति धाकड़ निवासी मोठपुर हाल निवासी कोहनी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
4. शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

निर्णय

दिनांक: 28.05.2025

वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 396 का ख.नं. 706 का रकबा 0.01 हे० गै.मु.चाह, ख.नं. 707 का रकबा 0.31 हे०,

ख.नं. 708 का रकबा 1.62 हे० कुल किता 3 का कुल रकबा 1.94 हेक्टर आराजी तथा ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 897 का ख.नं. 3370/705 उत्तर का रकबा 0.31 हे० आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 10.03.2025 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर विवादित आराजी संबंध में तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में रास्ते का युक्ति युक्त प्रावधान कर राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1593 दिनांक 14.05.2025 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2025 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 396 का ख.नं. 706 का रकबा 0.01 हे० गै.मु.चाह, ख.नं. 707 का रकबा 0.31 हे०, ख.नं. 708 का रकबा 1.62 हे० कुल किता 3 का कुल रकबा 1.94 हेक्टर आराजी तथा ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 897 का ख.नं. 3370/705 उत्तर का रकबा 0.31 हे० का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-  
वादी

1. भगवानलाल पुत्र गोपाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

क्र०सं०	खाता संख्या	ख०नं०	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	396	707	0.15 है०	माल 2/ पश्चिम दिशा	1.5500
2	396	708	0.81 है०	माल 2/ पश्चिम दिशा	8.1000
3	897	3370/705	0.16 है०	माल 2/ पश्चिम दिशा	1.5500
कुल किता 3			1.12 है०	—	11.20

प्रतिवादीगण

1. भवानीशंकर पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/3 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

2. रूकमणी बाई पुत्री गोरीलाल हिस्सा 1/3 जाति धाकड सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
3. शिवदयाल पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/3 जाति धाकड सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

क्र0सं0	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	396	707	0.16 है0	माल 2/ पूर्व दिशा	1.5500
2	396	708	0.81 है0	माल 2/ पूर्व दिशा	8.1000
3	897	3370/705	0.15 है0	माल 2/ पूर्व दिशा	1.5500
कुल किता 3			1.12 है0	—	11.20

वादी

1. भगवानलाल पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 जाति धाकड सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

प्रतिवादीगण

1. भवानीशंकर पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
2. रूकमणी बाई पुत्री गोरीलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
3. शिवदयाल पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा0 देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

क्र0सं0	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	396	706	0.01 है0	गै0 मु0 चाह	0.0100
कुल किता 1		706	0.01 है0	—	0.0100

(नोट:—ख0नं0 706 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 चाह वादी व प्रतिवादीगण के शामिल की खाता दर्ज रहेगा।)

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

**डिक्री मुकदमा इब्त्दाई**  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)  
**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**  
**बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**  
प्रकरण सं0 12/2023 दायर दिनांक: 02.02.2023

**उनवान**

1. भगवानलाल आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादी**

**बनाम**

1. भवानीशंकर आयु 65 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड
2. शिवदयाल आयु 55 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. रूकमणी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री गोरीलाल पत्नि गोरधन जाति धाकड निवासी मोठपुर हाल निवासी कोहनी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)
4. शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट**

**उपस्थिति :-**

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर  
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2025 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 396 का ख.नं. 706 का रकबा 0.01 हे0 गै.मु.चाह, ख.नं. 707 का रकबा 0.31 हे0, ख.नं. 708 का रकबा 1.62 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.94 हेक्टर आराजी तथा ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 897 का ख.नं. 3370/705 उत्तर का रकबा 0.31 हे0 का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

वादी

1. भगवानलाल पुत्र गोपाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा0 देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

क्र०सं०	खाता संख्या	ख०नं०	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	396	707	0.15 है०	माल 2/ पश्चिम दिशा	1.5500
2	396	708	0.81 है०	माल 2/ पश्चिम दिशा	8.1000
3	897	3370/705	0.16 है०	माल 2/ पश्चिम दिशा	1.5500
कुल किता 3			1.12 है०	—	11.20

#### प्रतिवादीगण

- भवानीशंकर पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/3 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
- रुकमणी बाई पुत्री गोरीलाल हिस्सा 1/3 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
- शिवदयाल पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/3 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

क्र०सं०	खाता संख्या	ख०नं०	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	396	707	0.16 है०	माल 2/ पूर्व दिशा	1.5500
2	396	708	0.81 है०	माल 2/ पूर्व दिशा	8.1000
3	897	3370/705	0.15 है०	माल 2/ पूर्व दिशा	1.5500
कुल किता 3			1.12 है०	—	11.20

#### वादी

- भगवानलाल पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

#### प्रतिवादीगण

- भवानीशंकर पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
- रुकमणी बाई पुत्री गोरीलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
- शिवदयाल पुत्र गोरीलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा० देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।

क्र०सं०	खाता संख्या	ख०नं०	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	396	706	0.01 है०	गै० मु० चाह	0.0100
कुल किता 1		706	0.01 है०	—	0.0100

(नोट:—ख०नं० 706 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० चाह वादी व प्रतिवादीगण के शामिली खाता दर्ज रहेगा।)

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.05.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)